कृषि विभाग
भूमि संरक्षण निदेशालय

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अंतर्गत जल संचयन तालाब एवं फार्म पौण्ड निर्माण की योजना का कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका।

राज्य योजना अंतर्गत जल संचयन तालाब एवं फार्म पौण्ड निर्माण की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में 499.320 लाख (चार करोड़ निन्यावने लाख बत्तीस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या–पी०पी०एम०–44 दिनांक–15.03.2024 द्वारा दी गई है।

इस योजना का कार्यान्वयन दक्षिण बिहार के 17 जिले– बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपूरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर में किया जायेगा। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य / कार्य योजना अनुसूची–1(क) एवं 1(ख) के रूप में संलग्न है।

इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश निम्नवत है:–

1. योजना का उद्देश्य :–

- वर्षा जल के अपव्यय को रोककर कृषि सिंचाई हेतु उसका संचयन एवं संरक्षण।
- भूमिगत जलस्तर एवं मिटट्री नमी में सुधार करना।
- हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उदे्श्य से कराये गये संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में कृषि विभाग के लिए चिन्हित क्षेत्रों को सिंचित करने हेतु वैकल्पिक संरचना निर्माण के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार जल संचयन तालाब एवं फार्म पौण्ड का निर्माण।

2. योजना से होने वाले लाभ :–

- अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन।
- भूगर्भजल पुनर्भरण।
- मिटट्री की नमी में वृद्धि, अति वृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में जल के बहाव को नियंत्रित कर भूमि एवं जल संरक्षण के साथ–साथ फसल की सुरक्षा।
- असिंचित क्षेत्रो में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र के कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसानों के आय में वृद्धि होगी।

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के उदे्श्य से कराये गये संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में 30 फिट तक के पक्का चेक डैम निर्माण हेतु चिंहित स्थलों में से तकनीकी रुप से अनुपयुक्त पाये गये स्थल पर इस योजना के माध्यम से (स्वीकृत्यादेश संख्या 44 दिनांक 15.03.2024) जल संचयन तालाब एवं फार्म पौण्ड का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

4. आवेदन की प्रक्रिया :–

I. वैसे कृषक जो फार्म पौण्ड एवं जल संचयन तालाब निर्माण पर अनुदान प्राप्त करना चाहते है, उन्हे सर्वप्रथम www.dbtagricuture.bihar.gov.in (DBT Portal) पर पंजीकृत होना

अनिवार्य होगा। तदोपरांत वे विभागीय वेबसाइट https:// bwds.bihar.gov.in पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

II. कृषको के समर्पित ऑनलाइन आवेदन का भौतिक जाँच सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण द्वारा प्राधिकृत WDT (Engg.Expert) एवं सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

III. WDT (Engg.Expert) द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेज की जाँच सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

IV. सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा आवेदन में अंकित सभी दस्तावेज विशेष रुप से भूमि के भूस्वामित्व से सम्बंधित कागजात एवं लगान रसीद की सूक्ष्मता से जाँच की जायेगी तथा आवेदक एवं अन्य लाभुको का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

V. सभी आवेदनो के जाँचोपरान्त योग्य आवेदको को सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण के द्वारा अपने लॉगिन से स्वीकृत किया जायेगा।

5. <u>आवेदन की जाँच</u> :–

- फार्म पौण्ड एवं जल संचयन तालाब के लिए किये गये आवेदन WDT (Engg.Expert) के Login में प्राप्त होगा।
- WDT (Engg. Expert) के द्वारा संबंधित स्थल का निरीक्षण कर योजना स्थल के तकनीकी उपयुक्तता की जाँच के उपरान्त सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा आवेदन में अंकित सभी दस्तावेज विशेष रुप से भूमि के भूस्वामित्व से सम्बंधित कागजात एवं लगान रसीद की सूक्ष्मता से जाँच की जायेगी तथा आवेदक एवं अन्य लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण के द्वारा उनके Login में प्राप्त अयोग्य आवेदनों को रदद् किया जायेगा एवं योग्य पाये गये आवेदन की स्थलीय जाँच कर अंतिम रुप से चयन किया जायेगा।

6. <u>लाभार्थी कृषक का चयन</u> :–

I. प्राप्त आवेदन के जॉचोपरान्त ही योजऩान्तर्गत लाभार्थी कृषक /कृषक समूह का चयन किया जायेगा। जल संचयन तालाब एवं फार्म पौंड निर्माण के अनुदान हेतु लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में कृषकों का चयन जिला के सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भपहले आओ–पहले पाओ के सिद्वांत पर किया जायेगा।

7. <u>योजना क्षेत्र/स्थल का चुनाव</u> : –

- हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कराये गये संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में सात निश्चय–2 योजना से 30 फीट तक के पक्का चेक डैम निर्माण हेतु चयनित स्थलों में से अकार्यान्वयन योग्य स्थलों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों से आच्छादित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. **<u>स्थलीय प्राक्कलन एवं लक्ष्य : –</u>**

- तकनीकी रूप से योग्य पाये गये स्थल पर जल संचयन तालाब /फार्म पौंड निर्माण हेतु नमूना प्राक्कलन को ध्यान में रखते हुए WDT कृषि अभियंत्रण से योजना स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन, सम्बंधित प्रमंडल में लागू दर अनुसूची (SoR) के अनुसार तैयार कर अनुसूची–2 अनुरूप प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार संरचना के आकार/प्रावधान में कुछ परिर्वतन अथवा योजनान्तर्गत लागू मानक प्राक्कलन एवं सम्बंधित प्रमंडल में लागू दर अनुसूची (SoR) के अनुसार तैयार वास्तविक प्राक्कलन की राशि में अंतर संभावित है, ऐसी स्थिति में योजनान्तर्गत जिले के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अधीन रहते हुए तदनुसार जल संचयन तालाब /फार्म पौंड के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य में परिवर्तन सम्बंधित सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण–सह–योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण की सहमति से किया जा सकेगा।
- योजना के वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिकृत विभागीय कृषि अभियंत्रण कोटि के पदाधिकारी के द्वारा उन्हे प्रदत वित्तीय शक्ति के अधीन रहते हुए दिया जायेगा।

9. **<u>स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–</u>**

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	घटक	आकार (लं0x चौ0x ग0)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	अनुदान
1	फार्म पौण्ड	100'x66'x10'	88	127.354	90 प्रतिशत
2	जल संचयन तालाब	150'x100'x8'	149	367.033	90 प्रतिशत

हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कराये गये संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में कृषि विभाग के लिये कुल निर्धारित लक्ष्य 29,640 हेक्टेयर है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सात निश्चय–2 योजना से 30 फीट तक के पक्का चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। कुल 237 लक्ष्य में से संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में चयनित पक्का चेक डेम निर्माण हेतु अयोग्य 158 स्थलों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों से आच्छादित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर फार्म पौंड/जल संचयन तालाब का निर्माण इस योजना के माध्यम से अनुसूची– 1 (ख) के रुप में संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार कराया जायेगा।

10. **<u>फार्म पौण्ड एवं जल संचयन तालाब निर्माण हेतु कार्यान्वयन अनुदेश :–</u>**

- योग्य पाये गये आवेदन के आवेदक एवं योजना कार्यान्वयन एजेंसी के बीच निर्धारित शर्तो के अधीन नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
- उक्त एकरारनामा एवं वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश, संबंधित जिला के सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- निर्गत कार्यादेश की प्रति योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण से सम्बंधित सभी पदाधिकारियों/कर्मियो तथा लाभुकों को दी जायेगी।
- कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों तक यदि कार्य प्रारंभ नही कराया जाता है तो, योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मामले की जाँच कर निर्गत कार्यादेश को रद्द किया जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया को कार्यादेश निर्गत की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के अंदर पूरा किया जायेगा।
- जाँच के क्रम में यदि ऐसा पाया जाता है कि योजना का कार्य प्रारंभ करने के लिए लाभुक को अतिरिक्त समय देना आवश्यक है, तो इसके लिए संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण की अनुमति अनिवार्य होगी।

11. <u>डुप्लीकेशन की संभावना को समाप्त करने एवं पारदर्शिता के लिए की जानेवाली कार्रवाई–</u>

(1) जल संचयन तालाब /फार्म पौंड के स्थल पर एक स्थायी सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिसमें योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी– योजना का नाम/योजना संख्या/वित्तीय वर्ष/ग्राम/पंचायत/प्रखण्ड/कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम एवं पदनाम प्राक्कलित राशि/योजना प्रारंभ की तिथि एवं पूर्णता की तिथि आदि अंकित होगा। प्रत्येक योजना स्थल का सूचना पट्ट के साथ लिया गया Geo Tagged फोटो योजना अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

(2) योजना कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा योजना के निम्न चरण का Accurate Lat-Long एवं Date/time stamped न्यूनतम 2–2 स्पष्ट फोटोग्राफ योजना अभिलेख में संधारित कराया जायेगा :–

I. निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व।
II. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के प्रत्येक चरण का।
III. प्रत्येक मापी के समय (लाभुक के साथ)।
IV. योजना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (लाभुक एवं योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के साथ)।

12. <u>अनुदान का भुगतान : –</u>

- योजनान्तर्गत कराये गये कार्य की सहायक निदेशक (कृषि अभि०), भूमि संरक्षण से जाँच एवं उनके द्वारा किये गये मापी के सत्यापन के आलोक में बिहार सरकार, कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत कृषि विभाग के वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत लाभुक को योजना कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से मापी प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर किया जायेगा।
- प्रति इकाई अनुदान की अधिकतम सीमा स्वीकृत्यादेश संख्या–44 दिनांक–15.03.2024 के साथ संलग्न अनुसूची–1 में स्वीकृत दर के अधीन ही होगी।
- स्वीकृत ईकाई दर से अधिक राशि के व्यय की स्थिति में अंतर राशि का व्यय लाभुक द्वारा अंशदान के रुप में किया जायेगा। तत्सम्बंध में लाभुक की पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

- अनुदान दर की विवरणी निम्नानुसार है–

क्र0सं0	घटक	इकाई दर (रू0 में)	अनुदान
1	फार्म पौण्ड	160800	90 प्रतिशत
2	जल संचयन तालाब	273700	90 प्रतिशत

13. <u>मापी पुस्त का संधारण</u> :–

- सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण के द्वारा कार्यालय में मापी पुस्त पंजी का संधारण किया जायेगा। इनके द्वारा मापी पुस्त में मापी पुस्त संख्या एवं निर्गत की तिथि के साथ उसे पृष्ठांकित कर प्रमाणित करने के उपरान्त WDT (Engg. Expert) को कार्यादेश निर्गत करने के साथ ही हस्तगत कराया जायेगा।
- WDT (Engg. Expert) के द्वारा प्राक्कलन में दिये गये प्रावधान के अनुरूप कराये जा रहे कार्य की समय–समय पर मापी ली जायेगी एवं उसे उक्त मापी पुस्त में दर्ज कर सहायक निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा।
- सहायक निदेशक (कृषि अभि०), भूमि संरक्षण के द्वारा WDT (Engg. Expert) से प्राप्त मापी पुस्त में दर्ज मापी की योज़ना स्थल पर जाकर जाँच कर मापी पुस्त का सत्यापन किया जायेगा।
- सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण के द्वारा उक्त मापी सत्यापन के आलोक में राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से लाभुक/लाभुक अभिकर्ता को किया जायेगा एवं अद्यतन मापी पुस्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। मापी पुस्त पर उप निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

14. <u>योजना से सम्बद्ध पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दायित्व</u> :–

14.1 सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी :–

- प्राप्त ऑनलाईन आवेदन की स्थल जाँच कर आवेदन में उल्लेखित लाभुक का भौतिक सत्यापन किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभुक योजना स्थल के भू–स्वामी है।
- इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की चयनित स्थल पर विगत पाँच वर्षो में किसी विभाग/संस्था द्वारा समान प्रकृति का कोई कार्य नहीं किया गया है। योजना के संबंध में जागरुक करने एवं चयनित योजना स्थल पर सफल योजना कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सूचना/आंकड़ा एकत्र कर संबंधित सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुसूची–3 में उल्लेखित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया जायेगा।
- इनके द्वारा योजना स्थल पर उपस्थित रहकर उक्त योजना से संबंधित दिशा–निर्देश के आलोक में कार्य कराया जायेगा। योजना स्थल का Geo-Tagged Photograph portal पर upload किया जायेगा।
- योजना में डुप्लीकेसी की स्थिति में यह जिम्मेवार होंगे।

14.2 जलछाजन विकास दल के सदस्य (अभियंत्रण विशेषज्ञ) :–

- प्राप्त ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित स्थल की जाँच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा की चयनित स्थल जल संचयन तालाब /फार्म पौंड निर्माण हेतु तकनीकी रुप से उपयुक्त है,

Scanned with OKEN Scanner

स्थल के चयन में कोई तकनीकी त्रूटि नही है तथा चयनित स्थल पर जल संचयन तालाब /फार्म पौंड का निर्माण उपयोगी होगा।

- योजना हेतु लागू मानक प्राक्कलन को ध्यान में रखते हुए तकनीकी रुप से उपयुक्त एवं प्रभावी लागत का वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
- योजना स्थल पर उपस्थित रहकर उक्त योजना से संबंधित दिशा–निर्देश के आलोक में योजना का कार्य कराया जायेगा।
- योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की मापी कर सहायक निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण को प्रतिवेदित किया जायेगा एवं Geo-Tagged Photograph Portal पर upload किया जायेगा।
- योजना में डुप्लीकेसी की स्थिति में यह जिम्मेवार होंगे।
- ये योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेवार होंगे।

14.3 सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण–सह–योजना कार्यान्वयन एजेंसी :–

- ये जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एजेन्सी होंगे।
- तकनीकी रुप से उपयुक्त योजना स्थल पर जल संचयन तालाब /फार्म पौंड के निर्माण हेतु लाभुक के चयन के लिए जिम्मेवार होंगे।
- मानक प्राक्कलन के आधार पर तैयार एवं सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन के अनुसार ससमय योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- योजना कार्यान्वयन के पश्चात भुगतेय राशि का ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
- सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण द्वारा स्वीकृत आवेदन के आधार पर किसानो द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरांत सहायक निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण से मापी जाँच के आलोक में अनुदान की राशि का भुगतान C.F.M.S के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे हस्तान्तरित किया जायेगा।
- इनके द्वारा योजना स्थल के प्रत्येक चरण (Phase) का Accurate Lat-Long एवं Date/time stamped न्यूनतम 2–2 स्पष्ट फोटोग्राफ योजना अभिलेख में संधारित कराया जायेगा।
- योजना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके रख–रखाव एवं उपयोग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- योजना में डुप्लीकेसी की स्थिति में यह जिम्मेवार होंगे।
- उपरोक्त से संबंधित प्रमाण–पत्र (अनुसूची–5 अनुरूप) संबंधित संचिका में रक्षित की जायेगी।
- प्रत्येक योजना स्थल पर स्वंय जाकर कार्य प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- इनके द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व चयनित योजना की सूची एवं योजना पूर्ण होने के उपरान्त कराये गये कार्यो की सूची सम्बंधित विभाग यथा– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं लघु जल संसाधन विभाग आदि के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सम्बंधित पंचायत के मुखिया को अचूक रुप से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त सूची में योजना स्थल, कराये जाने वाले कार्य एवं लाभुक के सम्बंध में विस्तृत जानकारी के साथ–साथ योजना स्थल का Accurate Latitude-Longitude रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- इनके द्वारा कार्यालय में योजना गति पंजी का संधारण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक योजना की संचिका/अभिलेख के सभी स्तर की दैनिक गति की प्रविष्टि कराई जायेगी।

14.4 सहायक निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण :–

- ये योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेवार होंगे।
- इनके द्वारा योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा चयनित स्थल की जाँच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित स्थल पर जल संचयन तालाब /फार्म पौंड निर्माण के लिए तकनीकी रुप से उपयुक्त है।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन की जाँच कर इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि– मानक प्राक्कलन को ध्यान में रखते हुए चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, प्रभावी लागत के एवं तकनीकी रुप से उपयुक्त प्राक्कलन का निर्माण किया गया है।
- इनके द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–311 दिनांक–20.09.2021 के आलोक में प्रदत वित्तीय सीमा के अंतर्गत योजना के वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- इनके द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा की योजनान्तर्गत किसी प्रकार की डुप्लीकेशन नही की जा रही है। इससे संबंधित प्रमाण–पत्र अनुसूची–4 अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।

14.5 जिला स्तरीय अनुश्रवण पदाधिकारी–संह–उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण :–

- ये जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण पदाधिकारी होंगे।
- इनके द्वारा प्रत्येक मापी पुस्त पर प्रतिहस्ताक्षर कर ससमय भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।
- इनके द्वारा जिले में कार्यान्वित योजना का लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित स्थल जल संचयन तालाब /फार्म पौंड निर्माण के लिए तकनीकी रुप से उपयुक्त है, मानक प्राक्कलन को ध्यान में रखते हुए चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रभावी लागत के प्राक्कलन का निर्माण किया गया है, निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन के अनुसार ससमय कार्य कराया जा रहा है, किसी प्रकार की डुप्लीकेशन नही की जा रही है तथा योजना अभिलेख का संधारण निदेशानुसार किया जा रहा है। इससे संबंधित अनुसूची–6 अनुरूप प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा जिससे संबंधित अभिलेख/संचिका में रक्षित किया जायेगा।
- इनके द्वारा किये गये निरीक्षण/अनुश्रवण से निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया जायेगा।
- इनके द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–311 दिनांक–20.09.2021 के आलोक में प्रदत वित्तीय सीमा के अंतर्गत योजना के वास्तविक स्थलीय प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

- संबंधित कर्मी के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर आवेदन निष्पादित नही करने की स्थिति में संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई, सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण के अनुशंसा पर उप निदेशक (कृषि अभि०) भूमि संरक्षण द्वारा की जायेगी एवं इसकी सूचना निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना को दी जायेगी।
- योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सहायक निदेशक (शष्य/कृ० अभि०) भूमि संरक्षण एवं सम्बंधित अधीनस्थ पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया जायेगा।
- योजना कार्यान्वयन के क्रम में किसी भी प्रकार के बाधा की स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन/जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर विवाद का निपटारा कराया जायेगा।

14.6 भूमि संरक्षण निदेशालय (मु०) में पदस्थापित सहायक निदेशक (शष्य/कृषि अभि०) भूमि संरक्षण :–

इनके द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना एवं भूमि संरक्षण निदेशालय में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों के निदेशानुसार योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण कर उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा।

14.7 उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना :–

- ये दक्षिणी बिहार, परिक्रम के स्तर पर योजना के अनुश्रवण पदाधिकारी होंगे।
- इनके द्वारा सम्बंधित जिलों में कार्यान्वित सभी योजनाओं का लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जा रहा है।
- योजना का निरीक्षण/जाँच के उपरान्त निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार को प्रतिवेदित किया जायेगा।
- योजना के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

14.8 उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार :–

- इनके द्वारा राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा।
- जिलों में कार्यान्वित सभी योजनाओं का लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जा रहा है।
- इनके द्वारा योजना का निरीक्षण/जाँच के उपरान्त निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार को प्रतिवेदित किया जायेगा।
- इनके द्वारा योजना के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

14.9 संयुक्त निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण :–

- इनके द्वारा राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा।
- जिलों में कार्यान्वित सभी योजनाओं का लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जा रहा है।
- इनके द्वारा योजना का निरीक्षण/जाँच के उपरान्त निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार को प्रतिवेदित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- इनके द्वारा योजना के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

14.10 निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार :–

- ये राज्य स्तर पर योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- इनके द्वारा समय–समय पर सरकार के द्वारा निर्गत सुझाव एवं सरकारी आदेशों के अनुसार योजना कार्यों पर प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण रखा जायेगा।
- इनके द्वारा जिले में कार्यान्वित सभी योजनाओं की लगातार समीक्षा कर योजना का कार्यान्वयन निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार समय पर करने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जायेगा।
- प्रतिकूल मामले को राज्य सरकार के संज्ञान में लाने का कार्य किया जायेगा।
- जाँच के क्रम में यदि ऐसे मामले संज्ञान में आते है, जिसमें सरकार के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, वैसे मामले में प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार को अविलम्ब प्रतिवेदित किया जायेगा।

15. **योजना से सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र–** योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता हेतु जिला स्तर पर योजना से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि इस कार्यान्वयन अनुदेश के साथ प्रपत्र के रूप में संलग्न है।

(सुदामा महतो)
निदेशक,
भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 11/भू०सं०नि०(यो०)04–10/2024– 572 /कृ0, पटना दिनांक 03/07/2024

प्रतिलिपिः– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सम्बंधित योजना के नोडल पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय/सभी उप निदेशक (कृ0अ0) भूमि संरक्षण/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई0टी0मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित कोषागार एवं पदाधिकारियों को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner